प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकहत्तर'

[4/12/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1620]

परिशिष्ट

विधान सभा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2017 के अतारांकित क्रमांक 1620 के उत्तरांश "ख" की जानकारी

बैठक दिनांक 04.12.2017 माननीय सदस्या - श्रीमती प्रतिभा सिंह

कार्यालय तहसीलदार कोतवाली द्वारा उपायुक्त सहकारिता जिला जबलपुर को प्रेषित पत्र

कार्यालय तहसीलदार (नजूल) कोतवाली जबलपुर

क्रमांक/416/री./तह.कोत./2017 जबलपुर, दिनांक : 07/07/2017

प्रति,

उपायुक्त,
सहकारिता जबलपुर

विषय :– शासकीय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर की मौजा लक्ष्मीपुर स्थित भूमि में अतिक्रमण के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. उ.आ.स./वि.स./17/2773 जबपलुर दिनांक 03/07/2017

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, शासकीय शिक्षक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, लक्ष्मीपुर के आवेदन पत्र पर सीमांकन दिनांक 13.02.2016 को किया जाकर इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्र. 01/अ–12/2015–16 में दिनांक 21/03/2016 को प्रमाणीकरण किया जा चुका है। सीमांकन के दौरान श्री पुनीत तिवारी उपस्थित थे, जिन्हे सीमाकंन करके सीमा चिन्हों से अवगत कराया गया है।

संदर्भित पत्र में यह लेख किया गया है कि, संस्था के नाम दर्ज भूमियो पर किसका कब्जा है, कितनी भूमि पर किस रूप में है। उक्त संबंध में लेख है कि, समिति के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन करके समिति के अधिकारी/कर्मचारी को सीमा चिन्हों की जानकारी दी जा चुकी है। उक्त सीमा चिन्ह के अंदर किन व्यक्तियों का कब्जा है, इसकी जानकारी समिति के द्वारा ही दी जा सकती है। प्रश्नाधीन भूमि समिति के नाम दर्ज है। भूमि की सीमा के अंदर किनके द्वारा कब्जा किया गया है, उक्त आशय का परीक्षण समिति के द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्यालय के द्वारा समिति के आवेदन पत्र पर सीमाकंन करके उपरोक्तानुसार निराकरण कर दिया गया है। अतः संदर्भित पत्र की जानकारी उपरोक्तानुसार प्रेषित है।

जानकारी प्रेषित है।

तहसीलदार
नजूल, कोतवाली, जबलपुर

(नजूल) कोतवाली
जबलपुर

7/7/17

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग